

भारतीय रिज़र्व बैंक

पर्यवेक्षण विभाग

चेन्नै क्षेत्रीय कार्यालय

RESERVE BANK OF INDIA

DEPARTMENT OF SUPERVISION

CHENNAI REGIONAL OFFICE



पंजीकरण प्रमाण पत्र

CERTIFICATE OF REGISTRATION

(जनता की जमाराशियां स्वीकार करने के लिए वैध नहीं)

(Not valid for accepting Public Deposits)

संख्या **N-07-00885**

No.

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **आर्डेंट कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड** को दूसरी तरफ दी गयी शर्तों पर जनता से जमाराशियां स्वीकार किये बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार प्रारंभ करने/करते रहने के लिए यह

पंजीकरण प्रमाण पत्र

जारी किया गया।

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934

ARDENT CAPITAL PRIVATE LIMITED

is hereby granted

Certificate of Registration

to commence / carry on the business of non-banking financial institution without accepting public deposits subject to the conditions given on the reverse.

मेरे हस्ताक्षर के अधीन
में फ़रवरी दो हजार बाईस की चौबीस तारीख को जारी किया गया।

Given under my hand at चेन्नै कार्यालय/ Chennai Office

this Twenty Fourth day of February Two Thousand Twenty Two



एल.एम.गणेशन / L.M. Ganesan

For **ARDENT CAPITAL PVT LTD**

महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक

General Manager / Deputy General Manager

Director